CHETANA
International Journal of Education

Impact Factor
SJIF=5.689

Peer Reviewed/
Refereed Journal

ISSN-Print-2231-3613
Online-2455-8729

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

Received on 14th Mar. 2021, Revised on 18th Mar. 2021, Accepted 21st Mar. 2021

आलेख

भारत में उच्च शिक्षा की समस्याएं और समस्याओं का समाधान

* डॉ अंजली मोंगा
प्राचार्या, बरक्कत गर्ल्स कॉलेज ऑफ एज्युकेशन,
टालेवाले, बरनाला, पंजाब
Email – dranjalimonga1@gmail.com, Mob.- 9417667842

बीज शब्द – इंटरफ़ेस, शैक्षणिक पद्धति, पाठ्यक्रम, ज्ञान समाज, चुनौतियाँ, वैश्वीकरण *आदि।*

सार संक्षेप

शिक्षा हर देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। एक अच्छी शिक्षा प्रणाली मानव संसाधन, शैक्षिक विधियों पाठ्यक्रम और बुनियादी ढांचे और शैक्षिक मानकों के एक जटिल इंटरफेस पर काफी हद तक निर्भर करती है। ये सभी महत्वपूर्ण चर हैं, सभी स्तरों पर और शिक्षा के हर क्षेत्र में। हमारा देश आर्थिक सुधारों में बदलाव और बदलाव के दौर से गुजर रहा है। हम अपने देश में कहाँ जाना या नेतृत्व करना चाहते हैं क्या यह आर्थिक और भविष्य के लिहाज से महत्वपूर्ण है? यह शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। 21 वीं सदी में एक ज्ञान समाज के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भारत को देश में संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करना चाहिए। हालांकि, नियामक विनियम अभी भी निजी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के बजाय निजी निवेश के लिए बाधाओं के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे शिक्षा क्षेत्र के सामने चुनौतियां कई हैं। ये कारक और चर आने वाले दिनों में सेक्टर की दिशा निर्धारित करेंगे। यह पत्र भारत में उच्च शिक्षा पर वैश्वीकरण के प्रभाव की जांच करता है और उन प्रमुख चुनौतियों पर भी चर्चा करता है जो वैश्वीकरण ने उच्च शिक्षा के लिए लाए हैं। पत्र का लक्ष्य शिक्षा क्षेत्र में हमारी रणनीतियों और नीतियों का व्यापक विश्लेषण करना है और यह भी जांच करता है कि हम अगले दो दशकों में कहां पहुंचना चाहते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पत्र कुछ निष्कर्ष और नीति निर्देश भी देता है।

परिचय

उच्च शिक्षा लोगों को समाज में विभिन्न आर्थिक भूमिकाओं को लेने के लिए प्रशिक्षित करती है और आर्थिक विकास को गति देने वाले तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देती है। यह महत्वपूर्ण है कि उच्च शिक्षा में देश की क्षमता अर्थव्यवस्था से कौशल की मांग के लिए संरेखित है, जिसमें शिक्षा प्रणाली से ही शिक्षकों की मांग शामिल होगी। चूंकि उच्च शिक्षा ही नौकरियों का सृजन नहीं कर सकती; मांग और स्नातकों की गुणवत्ता और संख्या की आपूर्ति के बीच एक बेमेल बेरोजगार स्नातकों और / या कुछ प्रकार के कौशल के साथ स्नातकों की कमी का कारण होगा। आज, हम उन स्नातकों के बीच बढ़ती बेरोजगारी की कठोर वास्तविकता का सामना करते हैं जो कई क्षेत्रों में कौशल की कमी के साथ सह अस्तित्व में हैं। व्यापार, निवेश और लोगों की गतिशीलता में वृद्धि के कारण एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का उद्भव, हाल ही में, सीमाओं के पार काम ने राष्ट्र राज्यों को उच्च शिक्षा की अपनी प्रणालियों को परिवर्तित वैश्विक वास्तविकताओं के अनुकूल होने के लिए मजबूर किया है। उनकी आवक दिखने

वाली नीतियों को जारी रखने के बजाय, कई देश उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उच्च शिक्षा की अपनी प्रणालियों को फिर से तैयार कर रहे हैं। व्यावहारिकता, विचारधारा के बजाय, इस बदलाव को चला रही है। उच्च शिक्षा में निवेश के लिए यूएसए की प्रमुख योजनाएं हैं। यूनाइटेड किंगडम (यूके) ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और प्रोत्साहन के माध्यम से नए गतिशीलता को इंजेक्ट किया है। चीन ने पिछले दो दशकों में उच्च शिक्षा में व्यापक सुधारों का पैकेज तैयार किया है। भारत अभी भी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र पर केंद्रित अपनी कुछ प्रारंभिक सफलता की महिमा में आधारित है। यद्यपि आईटी क्षेत्र में सफलता की कुछ राशि को सरकारी नीति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन इसका अधिकांश कारण अन्य कारणों से है जैसे (i) बड़ी जनसंख्या का आधार अंग्रेजी भाषा कौशल है, (ii) भारतीयों की जन्मजात क्षमता अच्छे विश्लेषणात्मक कौशल जो आधुनिक अर्थव्यवस्था और (iii) कुछ संस्थानों की सफलता में काम आए जिन्होंने योग्यता को बढ़ावा दिया और बहुत उज्ज्वल भारतीय छात्रों को आकर्षित किया। भारतीय अर्थव्यवस्था के खुलने के साथ ही भारतीयों की उद्यमशीलता की भावना समाप्त हो गई। उद्यमियों की नई नस्ल ने रोजगारोन्मुखी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए एक बड़ी विषम मांग को पूरा करने का एक बड़ा अवसर देखा। इससे देश में निजी उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्र का व्यापक विस्तार हुआ। हालांकि, निजी उच्च शिक्षा के विकास को गले लगाने के बजाय, सार्वजनिक नीति इसके बारे में क्षमाप्रार्थी है। एक अक्सर सरकारी रिपोर्टों और घोषणाओं से आने वाले परस्पर विरोधी संकेतों को देखता है। सरकार द्वारा उच्च शिक्षा का वित्तपोषण सीमांत रहा है, जो कि जीडीपी के आधे प्रतिशत से भी कम पर रहता है, अक्सर सरकार द्वारा इसे 1.5 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए दिए गए बयानों के बावजूद। पिछले कुछ वर्षों में प्रति छात्र खर्च में तेजी से गिरावट आई है। उच्च प्रणाली में जवाबदेही तंत्र अव्यवस्था में हैं। कई अन्य देशों के विपरीत, कोई भी भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए एक स्पष्ट दिशा नहीं देखता है। इस तथ्य के बावजूद कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया में उच्च शिक्षा की बेहतरीन व्यवस्था है, इसने उच्च शिक्षा के भविष्य की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया है (सितंबर 2005 में)। आयोग का आदेश यह सुनिश्चित करना है कि अमेरिका उच्च शिक्षा और नवाचार में दुनिया का अग्रणी बना रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और ऑस्ट्रेलिया के अलावा, कई अन्य देशों ने अपने उच्च शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम उठाए हैं। यह महसूस किया जाता है कि यद्यपि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा महत्वपूर्ण है, यह उच्च शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और आकार है जो वैश्विक ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में एक गतिशील अर्थव्यवस्था को अलग कर देगा। तकनीकी परिवर्तन और जनसांख्यिकीय लाभांश भारत को अपने मानव संसाधन जुटाने के लिए सेवाओं के तेजी से विस्तार वाले क्षेत्रों और अत्यधिक कुशल विनिर्माण दोनों क्षेत्रों में अग्रणी बनने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं। उच्च शिक्षा क्षेत्र में देश के सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों - मानव संसाधनों की पूर्ण क्षमता का दोहन करने की कुंजी है। इसलिए इस क्षेत्र में बदलाव की जरूरत है। उच्च शिक्षा लोगों को समाज में विभिन्न आर्थिक भूमिकाओं को लेने के लिए प्रशिक्षित करती है और आर्थिक विकास को चलाने वाले तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देती है। यह महत्वपूर्ण है कि उच्च शिक्षा में देश की क्षमता अर्थव्यवस्था से कौशल की मांग के लिए संरेखित होती है, जिसमें शिक्षा से ही शिक्षकों की मांग शामिल होगी। चूंकि उच्च शिक्षा ही नौकरियों का सृजन नहीं कर सकती; मांग और स्नातकों की गुणवत्ता और संख्या की आपूर्ति के बीच एक बेमेल कुछ प्रकार के कौशल के साथ बेरोजगार स्नातकों और / या स्नातकों की कमी को जन्म देगा। आज, हम स्नातकों के बीच बढ़ती बेरोजगारी की कठोर वास्तविकता का सामना करते हैं जो कई क्षेत्रों में कौशल की कमी के साथ सह-अस्तित्व में हैं। बढ़ते व्यापार, निवेश और लोगों की गतिशीलता के कारण एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का उद्भव, हाल ही में, सीमाओं के पार काम ने राष्ट्र राज्यों को उच्च शिक्षा की अपनी प्रणालियों को बदलने के लिए मजबूर किया है ताकि परिवर्तित वैश्विक वास्तविकताओं के अनुकूल हो सकें।

पत्र का उद्देश्य

इस पत्र का उद्देश्य देश में उच्च शिक्षा प्रणाली की कमजोरियों की पहचान करना है और यह भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली की जटिलता की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। यह भारत में उच्च शिक्षा की समस्याओं का कारण बनता है और परिवर्तन के लिए एक दिशा प्रदान करता है।

भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली

भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली आजादी के बाद तेजी से बढ़ी। 1980 तक, देश में 132 विश्वविद्यालय और 4738 कॉलेज थे, जो उच्च शिक्षा में पात्र आयु वर्ग के लगभग पाँच प्रतिशत का नामांकन करते थे। आज, जबकि नामांकन के संदर्भ में, भारत 17973 संस्थानों (348 विश्वविद्यालयों और 17625 कॉलेजों) के साथ दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणाली (चीन और अमेरिका के बाद) है। संयुक्त राज्य अमेरिका और पूरे यूरोप में संस्थानों की संख्या चार गुना से अधिक है। यह भारत में उच्च शिक्षा की प्रणाली को एक उच्च खंडित प्रणाली के रूप में बनाता है जो दुनिया में उच्च शिक्षा की किसी भी अन्य प्रणाली की तुलना में कहीं अधिक कठिन है।

उच्च शिक्षा संस्थानों का स्तर और प्रकार

देश में उच्च शिक्षा प्रणाली में विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं। वे अपनी शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था के संदर्भ में भिन्न हैं। विश्वविद्यालय या तो संसद के अधिनियम द्वारा या राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित राज्य राज्य विश्वविद्यालय हैं। कुछ उच्च शिक्षा संस्थानों को केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र सूचनाओं के माध्यम से विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। कुछ संस्थानों को संसद / राज्य विधानसभाओं द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में स्थापित किया जाता है। विश्वविद्यालय, जिन्हें विश्वविद्यालय माना जाता है और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान डिग्री-अनुदान देने वाले संस्थान हैं। हालांकि कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं है, कॉलेज मुख्य रूप से स्नातक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करते हैं और अनुसंधान करते हैं। इसके अलावा, भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) जैसे कई संस्थान हैं जो केवल डिप्लोमा प्रदान करते हैं। हालांकि ये डिप्लोमा विश्वविद्यालयों द्वारा दी गई डिग्री के बराबर हैं। अधिकांश विश्वविद्यालय और कॉलेज बहुविषयक कार्यक्रमों की पेशकश करते हैं, हालांकि, कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल एक विशेष अनुशासन तक ही सीमित होते हैं - जैसे कृषि, कानून, प्रौद्योगिकी, भाषा, चिकित्सा आदि। ऐसे खुले विश्वविद्यालय भी हैं जो केवल दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करते हैं।

शैक्षणिक संरचना

भारत में उच्च शिक्षा सभी पेशेवर धाराओं जैसे इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, कृषि आदि सहित विभिन्न विषयों के क्षेत्रों में कक्षा बारह से परे सभी पोस्ट-माध्यमिक शिक्षा को शामिल करती है। इसमें तीन स्तर की योग्यताएं शामिल हैं - स्नातक या स्नातक डिग्री कार्यक्रम, मास्टर या स्नातकोत्तर डिग्री। कार्यक्रम और पूर्व डॉक्टरेट और डॉक्टरेट कार्यक्रम [मास्टर ऑफ फिलॉसफी (एमफिल।) और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी)]।

उच्च शिक्षा में वृद्धि का मानचित्रण

भारत में उच्च शिक्षा के विकास को तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण 1947 से 1980 तक और दूसरा चरण 1980 से 2000 तक था। तीसरा चरण वर्ष 2000 से है। तीन चरणों की चर्चा नीचे की गई है।

1980 तक उच्च शिक्षा का विकास

1980 तक लगभग उच्च शिक्षा का विकास कला, विज्ञान और वाणिज्य तक ही सीमित था। सरकार ने न केवल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना करके उच्च शिक्षा का समर्थन किया, बल्कि निजी क्षेत्र के माध्यम से स्थापित संस्थानों को चलाने की जिम्मेदारी भी ली। इन्हें अनुदान सहायता (जीआईए) संस्थानों या निजी सहायता प्राप्त संस्थानों के रूप में जाना जाता है। ऐसे संस्थानों में, हालांकि निजी क्षेत्र ने पूंजीगत लागतों का एक बड़ा हिस्सा वित्तपोषित किया, लेकिन सार्वजनिक सब्सिडी उन्हें पुनरावृत्ति लागतों के एक हिस्से और कभी-कभी कुछ पूंजीगत कार्यों के लिए प्रदान की जाती थी। सरकार (विश्व बैंक, 2003) द्वारा निजी संस्थानों के काफी विनियमन के साथ सार्वजनिक वित्त पोषण किया गया था। इन वर्षों में, कई निजी संस्थानों ने अपने लिए उच्च शैक्षणिक मानक निर्धारित किए थे।

1980 से 2000 तक उच्च शिक्षा का विकास

1980 के दशक में, व्यापार और उद्योग की जरूरतों के लिए प्रासंगिक उच्च शिक्षा की अभूतपूर्व मांग थी, जो सरकारी संसाधनों पर काफी दबाव डालती थी। इसके अलावा, मध्यम और उच्च आय वर्ग में जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई, जिससे उच्च ट्यूशन फीस का भुगतान किया जा सकता था। इसने गैर-अनुदानित उच्च शिक्षा को एक व्यवहार्य उद्यम बना दिया। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए, राज्य को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी उद्यम के प्रवेश की अनुमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। 1990 के दशक की शुरुआत में आर्थिक सुधारों ने देखा कि मध्यम वर्ग बड़ा, छोटा और समृद्ध हो रहा है। इन सुधारों से देश में उद्यमिता में भी वृद्धि हुई। बढ़ती मध्यम वर्गों से उच्च शिक्षा की बढ़ती माँग और उद्यमशीलता की बढ़ती संस्कृति ने मिलकर देश में निजी उच्च शिक्षा के विकास की गति को तेज किया। इस अवधि के दौरान, बहुत कम विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को सरकारी क्षेत्र द्वारा स्थापित किया गया था और कम अभी भी सरकारी धन के दायरे में लाया गया था। एक तरह से, इस अवधि को देश में उच्च शिक्षा के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालने से सरकार की निकट वापसी के रूप में चिह्नित किया गया था।

2000 के बाद से उच्च शिक्षा का विकास

2000 के बाद, जब डी-नोवो संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने का उल्लेख करने का प्रावधान पेश किया गया था, तब निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय के रूप में समझा जाने वाले विकास में अचानक उछाल आया था। 2000 और 2005 के बीच, 26 निजी-प्रायोजित संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। इससे देश में उच्च शिक्षा में प्रतिस्पर्धा तेज हो गई। इस बीच, कई राज्य सरकारों ने महसूस किया कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और वे कानून के माध्यम से निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना कर सकते हैं। 2005 की शुरुआत तक, विभिन्न राज्यों में स्थापित सात निजी विश्वविद्यालयों को यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त थी। इस अवधि में भारत में उच्च शिक्षा के नए प्रकार के प्रदाताओं का उदय भी हुआ। इस अवधि के दौरान, निजी संस्थानों का प्रसार हुआ, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को व्यापक रूप से स्वीकृति मिली, सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने स्व-वित्तपोषण कार्यक्रम शुरू किए, और विदेशी संस्थानों ने स्वयं या भारतीय संस्थानों के साथ साझेदारी में कार्यक्रमों की पेशकश शुरू की और गैर-विश्वविद्यालय क्षेत्र में वृद्धि तेजी से हुई। 2000-01 से 2010-11 तक एक दशक में लगभग 20,000 कॉलेजों और 8 मिलियन से अधिक छात्रों को जोड़कर भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली का तीव्र गति से विस्तार हुआ है। 2011 तक,

भारत में 42 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 275 राज्य विश्वविद्यालय, 130 डीम्ड विश्वविद्यालय, 90 निजी विश्वविद्यालय, 5 संस्थान स्थापित और राज्य अधिनियम के तहत कार्य करते हैं, और 33 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। अन्य संस्थानों में सरकारी डिग्री कॉलेजों और निजी डिग्री कॉलेजों के रूप में 33,000 कॉलेज शामिल हैं, जिसमें 1800 अनन्य महिला कॉलेज शामिल हैं, इन विश्वविद्यालयों और संस्थानों के तहत 2012 में यूजीसी द्वारा रिपोर्ट किया गया था। शिक्षा के तृतीयक स्तर पर जोर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर है। 2004 तक भारतीय शिक्षण संस्थानों में बड़ी संख्या में प्रौद्योगिकी संस्थान शामिल थे। दूरस्थ शिक्षा और खुली शिक्षा भी भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली की एक विशेषता है, और दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा इसकी देखभाल की जाती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दुनिया भर में लगभग 3.5 मिलियन छात्रों की संख्या के साथ दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है।

भारत में शिक्षा की गुणवत्ता

दुनिया में कहीं भी, भारत में उच्च शिक्षा का तेजी से विस्तार इसकी गुणवत्ता की कीमत पर हुआ है। गुणवत्ता संस्थानों में व्यापक रूप से भिन्न होती है। गुणवत्ता की सामान्य गिरावट के बावजूद, कुछ संस्थानों जैसे IIT, IIM, कुछ विश्वविद्यालय विभागों और कुछ संबद्ध कॉलेजों ने उच्च मानकों को बनाए रखा है। गुणवत्ता की गिरावट सामान्य रूप से राज्य के विश्वविद्यालयों में और विशेष रूप से संबद्ध कॉलेजों में स्नातक स्तर पर सबसे अधिक है। भारत के उच्च शिक्षा के मानकों की तुलना शैक्षिक रूप से उन्नत देशों में औसत मानकों से प्रतिकूल है। वर्तमान में, तीन एजेंसियां हैं जो देश में बाहरी गुणवत्ता आश्वासन के माध्यम से संस्थानों और / या कार्यक्रमों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करती हैं। ये हैं: उच्च शिक्षा के मान्यता प्राप्त संस्थानों को यूजीसी द्वारा 1994 में स्थापित राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC); इंजीनियरिंग और संबंधित क्षेत्रों में मान्यता कार्यक्रमों के लिए 1994 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा स्थापित राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA); और 1996 में भारत कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा स्थापित प्रत्यायन बोर्ड (AB) कृषि संस्थानों को मान्यता देता है। अब दस वर्षों के लिए NAAC के अस्तित्व के बावजूद, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर इसका प्रभाव अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए गहन जांच की जरूरत है। शायद भारत में उच्च शिक्षा के बिगड़ते मानकों क कारण गहरी जड़ें हैं। संसाधनों की कमी की समस्याओं के समाधान के लिए उच्च शिक्षा के वित्तपोषण से संबंधित मुद्दों को ठीक करने की आवश्यकता है। न्यूनतम मानकों के उल्लंघन से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए, नियामक प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। एक स्वैच्छिक मान्यता प्रक्रिया इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती है।

कमजोरियाँ और खतरा

भारत में उच्च शिक्षा की एक व्यवस्थित परीक्षा से इसकी कई कमजोरियों का पता चलता है जिससे ज्ञान अर्थव्यवस्था में भारत की प्रतिस्पर्धा को खतरा है। ये नीचे दिए गए हैं। नामांकन और संस्थानों के विकास के पैटर्न से पता चलता है कि 1980 के बाद, विकास काफी हद तक निजी पहल के माध्यम से हुआ है। चूंकि संस्थानों की संख्या में सभी विकास परोपकार द्वारा संचालित नहीं किए गए हैं, इसलिए विकास के इस पैटर्न ने नियामकों के लिए नई चुनौतियों को जन्म दिया है। उच्च शिक्षा प्रणाली सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की अनभिज्ञता और पुरातन संबद्ध महाविद्यालय प्रणाली के कारण उस पर बदलती मांगों पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाई है। यह अनम्यता पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम में सबसे अधिक

दिखाई देती है जो पुरानी और अप्रासंगिक हो जाती है। अनुसंधान, विशेष रूप से अकादमिक अनुसंधान, देश में प्रदर्शन खराब है। डॉक्टरेट अनुसंधान की गुणवत्ता विशेष रूप से खराब है। भारत अकादमिक अनुसंधान की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अपने प्रतिद्वंद्वियों से पीछे है। नौकरी-बाजारों में हो रहे परिवर्तनों के कारण विज्ञान और गणित में रुचि घट रही है। परिणामस्वरूप देश की दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा दांव पर हो सकती है। उच्च शिक्षा के सार्वजनिक वित्त ने अपने विकास में गति नहीं रखी है। गरीब वित्त पोषण के परिणामस्वरूप देश में उच्च शिक्षा के मानकों में गिरावट आई है। उच्च शिक्षा की लागत धीरे-धीरे सरकार से छात्रों / अभिभावकों के लिए ट्यूशन फीस में वृद्धि, सार्वजनिक संस्थानों में स्व-वित्तपोषण पाठ्यक्रमों की शुरूआत और बड़ी संख्या में निजी संस्थानों की शुरुआत के साथ बदल रही है। उच्च शिक्षा के वित्तपोषण में सरकार की भूमिका और वित्त पोषण के माध्यम से परिवर्तन का लाभ उठाने के लिए हाशिए पर जा रहा है। उपयुक्त छात्र अनुदान और ऋण योजनाओं के अभाव में, उच्च शिक्षा तेजी से उच्च शिक्षा के अवसरों तक पहुंच में असमानता के बारे में चिंता पैदा करने वाले गरीब परिवारों के छात्रों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। भारत में उच्च शिक्षा के लिए नियामक प्रणाली कठोर, अप्रभावी और एंटीडिल्वियन है। यह उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बड़े पैमाने पर सार्वजनिक वित्त पोषित है। गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली की सीमित पहुंच है। मान्यता के लिए किसी भी परिणाम की अनुपस्थिति में, इसका निरर्थक प्रतिपादन किया गया है। अकादमिक पेशे का अवमूल्यन किया गया है। यह अब उज्ज्वल लोगों को आकर्षित नहीं करता है। शिक्षण समुदाय डी-प्रेरित है। भारत में उच्च शिक्षा के लिए कोई स्पष्ट और सुसंगत दीर्घकालिक नीति नहीं है। विश्वसनीय डेटा का अभाव सूचित निर्णय को और भी कठिन बना देता है। परिणामस्वरूप या तो तदर्थवाद कायम रहता है या तदर्थ नीतियों के अभाव में भी अराजकता पैदा हो जाती है। मुद्दों की सीमित समझ के साथ, न्यायपालिका और मीडिया द्वारा हस्तक्षेप ने केवल इस भ्रम को जोड़ा है। भारत में उच्च शिक्षा के लिए बाजार की ताकतें सक्रिय होने के बावजूद, भारत में उच्च शिक्षा के लिए बाजार अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। उच्च शिक्षा के अजीब अर्थशास्त्र के कारण बाजार और गैर-बाजार की विफलताओं की समस्या और बढ़ जाती है। नतीजतन, परिणाम एकदम सही और कुछ मामलों में विनाशकारी हैं।

मौजूदा सार्वजनिक नीति उपकरणों की समीक्षा

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि शिक्षा वर्तमान और भविष्य में एक अनूठा निवेश है, 1986 में एक बहुत व्यापक नीति दस्तावेज को मंजूरी दी गई थी। यह 1992 में एक कार्यक्रम (पीओए) के कार्यक्रम के साथ पूरक था। अब समीक्षा में, एक देखता है कि कई पीओए, 1992 के साथ एनपीई, 1986 की सिफारिशों को आंशिक रूप से पूरा किया गया है। इसके अलावा, पिछली नीति के नुस्खे को संशोधित करने या एक नया विकास करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। 1990 के दशक की शुरुआत में आर्थिक सुधारों के बाद उच्च शिक्षा के विकास पर उनके प्रभाव को नजरअंदाज कर दिया गया। 1990 के आर्थिक सुधारों के साथ, निजी क्षेत्र राष्ट्र के आर्थिक विकास में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए आया है। वर्तमान समय में उच्च शिक्षा प्रणाली जैसे यूजीसी अधिनियम, एआईसीटीई अधिनियम, आदि के लिए उपलब्ध उपकरणों की समग्र समीक्षा की आवश्यकता है, जो वर्तमान संदर्भ में पुराने हो गए हैं। इस संदर्भ में, वर्तमान और उभरते संदर्भ में उच्च शिक्षा के लिए एक नई राष्ट्रीय नीति ढांचा विकसित करना महत्वपूर्ण है। इस तरह के नीतिगत ढांचे को राजनीतिक प्रक्रियाओं द्वारा विकसित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि एक स्वतंत्र उच्च शक्ति आयोग द्वारा।

रणनीतिक प्रतिमान बदलाव की आवश्यकता

बदलती परिस्थितियाँ उन मुद्दों पर नए सिरे से विचार करने का आह्वान करती हैं जो उच्च शिक्षा का सामना कर रहे हैं। आज भारत में उच्च शिक्षा से निपटने के लिए एक रणनीतिक प्रतिमान की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा के लिए सार्वजनिक नीति का हवाला देते हुए, पटेल (1998) ने कहा कि भारत में, दुनिया के अधिकांश हिस्सों में इस मामले के लिए, उच्च शिक्षा के लिए सार्वजनिक नीति हमेशा चौड़ी होती है और सीमित की वास्तविकता की दुविधा का सामना करना पड़ता है संसाधन। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए न केवल अधिक अवसरों की मांग है, बल्कि अधिक विविधता भी है, न केवल विषय श्रेणी में, बल्कि संस्थागत व्यवस्था के साथ-साथ कैसे विषयों को पढ़ाया जाता है और शोध किया जाता है। इसलिए उच्च शिक्षा में विविधता एक नीतिगत उद्देश्य के रूप में अपनाई जानी है। यूनिफॉर्म की गुणवत्ता के मानक इस उद्देश्य के खिलाफ काम करते हैं। उच्च शिक्षा विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करती है। इसलिए, उच्च शिक्षा को विभिन्न हितधारकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध गुणवत्ता मानकों की आवश्यकता होती है। यह व्यक्तिगत संस्थानों को प्रयोग और नवाचार करने में भी सक्षम बनाता है। एक उद्देश्य के रूप में विविधता को आगे बढ़ाने की आवश्यकता यह नहीं बताती है कि किसी भी जवाबदेही के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। अपने स्वभाव से कुछ प्रकार के बाहरी जांचों के बिना शैक्षणिक मानकों को बनाए रखा या सुधार नहीं किया जा सकता है। भरोसा है कि लंबे समय तक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था जब संस्थानों की संख्या बड़ी नहीं थी, अब काम करने के लिए प्रकट नहीं होता है, जब प्रणाली बड़ी और जटिल होती है। इससे नियमन महत्वपूर्ण हो जाता है। समान रूप से महत्वपूर्ण विनियमन का प्रकार है, जो इसे डिजाइन करता है और इसे कैसे लागू किया जाता है। लागू किए गए स्व-नियमन के साथ सूचना प्रकटीकरण पर एक ध्यान उच्च शिक्षा प्रणाली के कुशल कामकाज के लिए सबसे बड़ी क्षमता रखता है। नियमन के लिए विस्तृत योजना और नियंत्रण के नेतृत्व वाले दृष्टिकोण को उच्च शिक्षा में बहुत उपयोगी नहीं पाया गया है। यह दुनिया भर के कई देशों में अनुभव रहा है। इसलिए, वर्तमान प्रणाली को एक नियामक ढांचे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है जो बाजार की विफलताओं का ख्याल रखता है और बाजार समन्वय की सुविधा देता है। भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली ने अब तक एक आवक दिखने वाले दृष्टिकोण को अपनाया है, जो मुख्य रूप से उच्च शिक्षा के लिए घरेलू मांग को पूरा करने के लिए संबंधित है। बाकी दुनिया के साथ देश के एकीकरण और लोगों के बढ़ते व्यापार, निवेश और गतिशीलता के साथ, उच्च शिक्षा में बाहरी दिखने वाले दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भारतीय उच्च शिक्षा न केवल घरेलू मांग को पूरा करने में सक्षम होनी चाहिए, बल्कि योग्य और प्रशिक्षित जनशक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मांग भी होनी चाहिए। इसके अलावा, अतीत में मुख्य रूप से उच्च शिक्षा की औपचारिक प्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया गया है और वह भी सार्वजनिक विश्वविद्यालय प्रणाली। बदली हुई परिस्थितियों में, हमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से उच्च शिक्षा संस्थानों को ध्यान में रखना होगा। प्रतिष्ठित और स्थापित सार्वजनिक विश्वविद्यालय देश में उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। बड़े और उभरते निजी क्षेत्र के संस्थान आवश्यक गतिशीलता प्रदान करते हैं और पेशेवर पाठ्यक्रमों की बढ़ती मांग का जवाब देते हैं। लघु-चक्र पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले निजी प्रशिक्षण क्षेत्र आईटी / आईटीईएस क्षेत्र जैसे तेजी से बदलते उद्योग द्वारा आवश्यक कौशल और योग्यता की आवश्यकता को पूरा करते हैं। अर्थव्यवस्था की विविध आवश्यकताओं और विभिन्न हितधारकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए संस्थानों के विभिन्न समूह अपनी-अपनी ताकत के साथ लाते हैं। आज देश में उच्च अनुकूली क्षमता वाली एक विभेदित उच्च शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। सभी में, उच्च शिक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए हमारी सोच में एक बदलाव की आवश्यकता है।

सारांश और निष्कर्ष

कागज नोट करता है कि भारत में उच्च शिक्षा पिछले दो दशकों में तेजी से बढ़ी है। इसने घरेलू और साथ ही योग्य श्रमशक्ति की वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए कार्यबल विकास में उच्च शिक्षा की भूमिका की जांच की। भारतीय अर्थव्यवस्था में नवाचार को बढ़ावा देने में अकादमिक अनुसंधान की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है, इसकी कमजोरियों की पहचान की गई है और आगे का रास्ता सुझाया गया है। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में उच्च शिक्षा संस्थानों को अनुसंधान प्रयोगशालाओं और पहचाने गए उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में जनशक्ति के विकास के लिए उद्योग के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेगा जब इस तरह के अत्यधिक कुशल जनशक्ति विश्वविद्यालयों से व्यवसायों में स्थानांतरित हो जाएंगे। वास्तव में, विश्वसनीय बड़े कॉरपोरेट घरानों और विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुसंधान विश्वविद्यालयों और परिसरों को स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित करने के लिए लुभाने का भी वादा किया गया है। उच्च शिक्षा के लिए नियामक वातावरण, जैसा कि आज भारत में मौजूद है, उच्च शिक्षा के लिए उभरते बाजार ढांचे को ध्यान में रखते हुए अध्ययन किया गया है। यह पेपर सर्वविदित तथ्य से सहमत है कि नियामक निकाय उच्च शिक्षा के मानकों के रखरखाव के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में बुरी तरह से विफल रहे हैं और निजी उद्यमों के माध्यम से स्थापित किए जाने वाले नए संस्थानों के प्रवेश के लिए दुर्जेय बाधाओं को खड़ा किया है। एक विस्तृत योजना और नियंत्रण दृष्टिकोण के स्थान पर, कई देशों के अनुभव में उपयोगी नहीं पाया गया, एक नियामक ढांचा जो बाजार की विफलताओं की देखभाल करता है और बाजार समन्वय की सुविधा की वकालत की गई है। यह प्रस्तावित है कि भ्रामक प्रथाओं पर अंकुश लगाने और तथ्यों की गलत व्याख्या करने के लिए एक प्रणाली लागू की जानी चाहिए। लेखांकन में पारदर्शिता और जानने का अधिकार रखने वाले छात्रों 'के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रकटीकरण मानकों को पेश करने की आवश्यकता है। भारत के पास जनसांख्यिकीय अधिशेष को अपनी आर्थिक ताकत में बदलने का एक अनूठा अवसर है। इसके लिए उच्च शिक्षा में एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के निर्माण की आवश्यकता होगी जो सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थानों को विकसित और अधिक संवेदनशील और अभिनव बनाता है। इस क्षेत्र के परिवर्तन से भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के उत्पादन और प्रतिस्पर्धा की गुणवत्ता पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि इस क्षेत्र के परिवर्तन के लिए स्पष्ट दृष्टि, नई वास्तविकताओं को समझने और सराहना करने और साहसपूर्ण निर्णय लेने की हिम्मत की आवश्यकता होगी। एक नई ज्ञान अर्थव्यवस्था की उभरती संरचना में, प्रतिस्पर्धा का स्रोत प्रतिभा है। इसलिए, जो देश उच्च शिक्षा में प्रगतिशील नीतियों का पालन करके प्रतिभा का पोषण करने में सक्षम हैं, वे विजेता बनेंगे। यह विकल्प कि क्या हम विजेता बनना चाहेंगे, हमारे हाथ में है

*** Corresponding Author**

डॉ अंजली मोंगा

प्राचार्या, बरक्कत गर्ल्स कॉलेज ऑफ एज्युकेशन,
टालेवाले, बरनाला, पंजाब

Email – dranjalimonga1@gmail.com, Mob.- 9417667842